



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 10.11.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन खीरी स्थित परेड ग्राउंड में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का किया गया निरीक्षण; महोदय द्वारा उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्रा को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अति उत्कृष्ट सेवा पदक से किया गया सम्मानित



आज दिनांक 10.11.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन खीरी स्थित परेड ग्राउंड पर शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई। सलामी ग्रहण करने के उपरांत शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। जिसके पश्चात महोदय द्वारा कार्टर गार्ड का निरीक्षण किया गया। गार्ड कमांडरों के रजिस्ट्रों की चेकिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा पुलिस लाइन में स्थित समस्त कार्यालयों के रजिस्ट्रों का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्रा को जनपद रायबरेली में नियुक्ति के दौरान सेवा अभिलेखों के आधार पर भेजे गए नामांकनों के आधार पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त रवि सिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 09.11.2023 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त 1. रवि सिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम बसारा थाना पसगवां जनपद खीरी को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 358/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. रवि सिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम बसारा थाना पसगवां जनपद खीरी।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 रनजीत सिंह यादव थाना पसगवां जनपद खीरी
2. उ0नि0 श्रीकृष्ण शुक्ला थाना पसगवां जनपद खीरी
3. हे0का0 रामेन्द्र कुमार सिंह थाना पसगवां जनपद खीरी

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, छेड़खानी के 01 नफर वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र निर्मल कुमार को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 555/2023 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

गौरव पुत्र निर्मल कुमार निवासी ग्राम बरौला थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अंकुर कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. हे0का0 अनिरुद्ध यादव, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
3. का0 नितिन कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

थाना फरधान पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्ते व कुल 1380/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.11.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा ग्राम फरधान में नहर के पास बने शिव मन्दिर के समीप से कुल 04 नफर अभियुक्तों को हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए पकड़ लिया जिनके पास से 52 ताश के पत्ते व 1,380 रुपये बरामद कर थाना फरधान पर मु0अ0सं0 518/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. सर्वेश पुत्र मिश्रीलाल नि0ग्राम फरधान थाना फरधान जिला खीरी
2. नीरज पुत्र नन्दकिशोर नि0ग्राम फरधान थाना फरधान जिला खीरी
3. रोमिल पुत्र अंगद प्रसाद नि0ग्राम फरधान थाना फरधान जिला खीरी
4. अनूप पुत्र रौशन लाल नि0ग्राम फरधान थाना फरधान जिला खीरी

बरामदगी

52 ताश के पत्ते व 1,380 रूपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 राजेन्द्र यादव
- 2.का0 सुनील कुमार,
- 3.का0 विशाल कुमार
- 4.का0 निशान्त कुमार
- 5.का0 अनुज कुमार

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, 950 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर 01 नफर अभियुक्त बाबूलाल भार्गव पुत्र सियाराम भार्गव को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.11.2023 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त बाबूलाल भार्गव पुत्र सियाराम भार्गव नि० मक्कापुरवा मजरा हसनपुर कटौली थाना ईसानगर जनपद खीरी को नशीले पदार्थ (950 ग्राम गांजा) के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त बाबूलाल भार्गव उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 446/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

बाबूलाल भार्गव पुत्र सियाराम भार्गव नि० मक्कापुरवा मजरा हसनपुर कटौली थाना ईसानगर जनपद खीरी

बरामदगी

950 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. हे०का० तिलेश्वर सिंह यादव थाना ईसानगर जनपद खीरी
3. हे०का० उमेश कुमार मिश्रा थाना ईसानगर जनपद खीरी
4. का० अक्षय राणा थाना ईसानगर जनपद खीरी
5. हो०गा० त्रिवेणी पाठक थाना ईसानगर जनपद खीरी

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को 2,020 रुपये बरामद करके गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.11.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा जकीउल्ला के मकान के सामने खाली जगह बहदू ग्राम मौजमाबाद से 04 नफर अभियुक्तों को हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 2,020 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 557/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. जियाउल्ला पुत्र हकीम उल्ला निवासी ग्राम मौजमाबाद थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. इजहार पुत्र छोटे निवासी ग्राम मौजमाबाद थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
3. मनोज पुत्र लाली बोध निवासी ग्राम मौजमाबाद थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
4. श्यामू पुत्र किशोरी निवासी ग्राम मौजमाबाद थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

52 ताश के पत्ते व 2,020 रु0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 कंचन सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।
2. हे0का0 सुरेन्द्र कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।
3. हे0का0 बृजभान सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।
4. का0 गुरविन्दर सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।
5. का0 दीपांशू, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।
6. का0 लाखन सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।

थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त रवि सिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 09.11.2023 को थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त रवि सिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह थाना पसगवाँ जनपद खीरी को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 358/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

1-थाना भीरा पुलिस द्वारा, मु०अ०सं० 186/20 धारा 302 भादवि में वारण्टी 01 नफर अभियुक्त अभिषेक निवासी दौलतापुर थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही: विगत 24 घंटे में 158 लीटर अवैध शराब बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **158 लीटर अवैध कच्ची शराब व 01 शराब बनाने के उपकरण** बरामद कर **09 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **09 अभियोग** पंजीकृत किए गए।